

CHAUDHARY CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT

चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ



Ref. No.Affi./

Dated:.....

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that Institute of professional Excellence & Management, A-13/1, SSGT Road Industrial Area, NH-9 Bypass Ghaziabad- 201010 is affiliated to the Ch. Charan Singh University, Meerut and the following Course/Subjects are taught in the said college as per approval.

SL. No.	Name of the Course	Affiliation
1.	BBA	Permanent Affiliation
2.	BCA	Permanent Affiliation
3.	B.Ed.	Permanent Affiliation
4.	B.Ed. (Extra)	Permanent Affiliation
5.	B.Com	Temporary Affiliation


Registrar
03/03/2024
Ch. Charan Singh University
Meerut



LAKSH


ipem

INSTITUTE OF PROFESSIONAL
EXCELLENCE & MANAGEMENT

AISHE Code-C-28651

CLARIFICATION BY THE HEAD OF THE INSTITUTION

It is hereby declare that as per the Clarification required by the NAAC Authority regarding the submission of Latest affiliation letter obtained from the Chaudhary Charan Singh University, Uttar Pradesh for the academic year 2020-21 for all the programs offered by the Institution along with the affiliated university seal and signature (provide English translated version). It is to bring to your notice that although the letter has being issued & signed by the Registrar but the date of issue is not mentioned in the letter due to the busy schedule of the Registrar in Convocation. & Consecutive holidays at the university. I hereby declare that the updated letter with the date & reference number shall be updated on website as & when we get the dispatch serial number.


Dr Nishi Sharma

Principal

(The Institute of Professional Excellence
& Management (IPEM)

Principal

**Institute of Professional
Excellence and Management
A-13/1, S.S.G.T. Road, Industrial Area,
NH-24, Ghaziabad-201010**

Affiliated to C.C.S. University, Meerut

A-13/1, SOUTH OF G.T. ROAD, INDUSTRIAL AREA, DELHI-HAPUR BYPASS, NATIONAL HIGHWAY-24, GHAZIABAD-201010

Telefax : 0120-4174500 •E-mail : info@ipemgzb.ac.in

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक :- सम्बद्धता/ 709
दिनांक :- 15.02.2007

सचिव,
इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस एण्ड मैनेजमेंट,
ए-13/1, एस0एस0जी0टी0 रोड,
इण्डस्ट्रीयल एरिया, एन0एच0-24
गाजियाबाद

महोदय,

माननीय कुलाधिपति सचिवालय के पत्र संख्या-ई.स. 2732/जी.एस. दिनांक 10.01.2007 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-37(2) के अधीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस एण्ड मैनेजमेंट, गाजियाबाद को स्नातक स्तर पर बी0बी0ए0 एवं बी0सी0ए0 पाठ्यक्रमों में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2006 से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:-

1. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 2 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

कुलाधिपति महोदय द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस एण्ड मैनेजमेंट, गाजियाबाद को स्नातक स्तर पर बी0बी0ए0 एवं बी0सी0ए0 पाठ्यक्रमों में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2006 से सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,


उप कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
3. प्रभारी, कमेटी सैल, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय को आगामी कार्यपरिषद की बैठक के अनुमोदनार्थ।
4. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव

चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
Ch. Charan Singh University, Meerut



सचिव,
आई०पी०ई०एम०,
गाजियाबाद।

पत्रांक:- सम्बद्धता/2830
दिनांक:- 01.05.2003

महोदय,

माननीय कुलाधिपति सचिवालय के पत्र संख्या-ई.स. 249/जी०एस० दिनांक 20.03.2003 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसके माध्यम से आपके संस्थान को कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-37(2) के अधीन आई०पी०ई०एम०, गाजियाबाद को स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत बी०एड० एक वर्षीय पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ शैक्षणिक सत्र 2002-2003 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है:-

1. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्ता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
2. विश्वविद्यालय द्वारा सुसंगत परिणयमों में वर्णित एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों तथा मनाको के अनुपालन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से संस्था का निरीक्षण अगले सत्र में कराया जायेगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा यह निरीक्षण आख्या प्रमाण पत्र सहित महामहिम कुलाधिपति के अवलोकनार्थ/निस्तारणार्थ प्रस्तुत की जायेगी।
3. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय परिणयमावली में वर्णित एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों तथा मनाको की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता को वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
4. संस्था के प्रबन्धतंत्र द्वारा उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(4) एवं धारा 37(5) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय को आख्या प्रस्तुत की जायेगी।
5. संस्था द्वारा महाविद्यालय में उपरोक्त विषयों में विद्यार्थियों का प्रवेश फीस, शिक्षकों की नियुक्ति आदि के सम्बन्ध में शासनादेश: संख्या: 1960/सत्तर-2-97(85) 97, दिनांक 11.11.97 के अनुसार या भविष्य में समय-समय पर जारी शासनादेश तथा विश्वविद्यालय के द्वारा निर्गत निर्देशों के आधार पर कार्यवाही की जायेगी। विश्वविद्यालय द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश एवं अन्य सुसंगत नियमों का पूर्णरूपेण परिपालन किया जा रहा है।

कुलाधिपति महोदय द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार बी०एड० एक वर्षीय पाठ्यक्रम में 100 सीटों की क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत सत्र 2002-2003 से उपरोक्त शर्तों के अधीन सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे, जिसके लिए पृथक से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

भवदीय,

दि. 3
कुलसचिव

- प्रतिलिपि:-
1. सहायक कुलसचिव(लेखा) को सूचनार्थ।
 2. प्रभारी कमैटी सैल चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।


प्राचार्या,

इन्स्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस एण्ड मैनेजमेन्ट,
ए-13/1, एस.एस.जी.टी.रोड़, इण्डस्ट्रीयल एरिया,
एन.एच.-24,
गाजियाबाद

कुलसचिव

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/2008
दिनांक : 26/8/11

राचिव
इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस एण्ड मैनेजमेंट,
गाजियाबाद

महोदय,

अनुसचिव, उच्च शिक्षा, अ.भाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या सम्ब-13/सत्तर-2-2008 2(270)/2006, दिनांक 18.03.2008 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस एण्ड मैनेजमेंट, गाजियाबाद को बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 अतिरिक्त सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2006 से सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है :-

1. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
2. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिणियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
4. प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रवेश के पूर्व, विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि महाविद्यालय/संस्था आवश्यक अवस्थापना सुविधाएं एवं मानकानुसार शिक्षकों का चयन/अनुमोदन पूरा कर लेगी और इस आशय की सूचना शासन को एक माह में उपलब्ध कराया जायेगा।

शासन द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस एण्ड मैनेजमेंट, गाजियाबाद को बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 अतिरिक्त सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2006 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,


कुलसचिव

प्रतिलिपि :

1. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ ।
2. प्रभारी, कमेंटी रील, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, बी0एड0 रील, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैवसाईट पर डालने का कष्ट करे।
6. गार्ड फाइल हेतु।


प्राचार्या,

इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस एण्ड मैनेजमेंट,
ए-13/1, एस.एस.जी.टी.रोड़, इण्डस्ट्रीयल एरिया,
एन.एच.-24,
गाजियाबाद


कुलसचिव

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/2022
दिनांक : 15.7.2019

सम्बद्धता आदेश

असाधारण गजट नोटिफिकेशन संख्या-975/79-वि-1-14-1(क)19/2014 दिनांक 18.07.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस एण्ड मैनेजमेंट, इण्डस्ट्रीयल, एरिया, एन0एच0-24, गाजियाबाद को वाणिज्य संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0काम0 पाठ्यक्रम (एक सैक्शन) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2019 से आगामी तीन वर्ष हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है।

01. संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
02. कतिपय संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुमति के निर्गत आदेशों में इंगित कमियों यथा-प्राभूत का नवीनीकरण, अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण व एन0बी0सी0 प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से निर्गत न होने की कमी का निराकरण किये जाने में यदि समय लगना सम्भावित हो तो विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता आदेश तत्काल निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालयों से एक माह में प्राप्त कर लेगा।
03. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
04. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
05. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

माननीय कार्य परिषद की स्वीकृति दिनांक 08.06.2019 के आलोक में कुलपति जी के आदेशानुसार इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस एण्ड मैनेजमेंट, इण्डस्ट्रीयल, एरिया, एन0एच0-24, गाजियाबाद को वाणिज्य संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0काम0 पाठ्यक्रम (एक सैक्शन) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2019 से आगामी तीन वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति उपरोक्त शर्तों के साथ प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस एण्ड मैनेजमेंट, इण्डस्ट्रीयल, एरिया, एन0एच0-24, गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
3. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
4. प्रभारी, कमेंटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल/परीक्षा) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैवसाईट पर डालने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाइल हेतु।